राष्ट्रीय लोक अदालत

...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...करण सख्या : 48/2021

1. कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन जाति कीर निवासी सोनवा हाल मुकाम बगावदा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन जाति कीर निवासी सोनवा हाल मुकाम गैता तहसील पीपल्दा जिला कोटा

.......वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 24.03.2021 निर्णय दिनांक : 13.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 49 खसरा नं0 16 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 33 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 34 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 है0 हिस्सा 2/9 वाके ग्राम सोना तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादीगण का नाम कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन के स्थान पर प्रहलाद पुत्र राधाकिशन एवं कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन के स्थान पर रूकमणी पुत्री राधाकिशन दर्ज हो रहा है। जबकि वादीगण का वास्तविक नाम कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन एवं कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन है। जिसको वादीगण प्रहलाद पुत्र राधाकिशन के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन एवं रूकमणी पुत्री राधाकिशन के स्थान पर कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि में कन्हैयालाल पुत्र राधाकिशन दर्ज हो रहा है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम प्रहलाद पुत्र राधाकिशन के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन एवं रूकमणी पुत्री राधाकिशन के स्थान पर कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 24.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2022/1295 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार प्रहलाद पुत्र राधाकिशन व कन्हैयालाल पुत्र राधाकिशन जाति कीर को दोनो नामो से बोला व पहचाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

...खण्ड अधिकारी ... (राज0)

Scanned by CamScanner

है, दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। इसी प्रकार वादीगण रूकमणी बाई पुत्री राधाकिशन व कैलाशी बाई पुत्री राधाकिशन जाति कीर एक ही महिला के नाम है। वादिनी को कैलाशी बाई व रूकमणी बाई दोनो से बोला व पहचाना जाता है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम प्रहलाद पुत्र राधाकिशन के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन एवं रूकमणी पुत्री राधाकिशन के स्थान पर कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी कन्हैयालाल एवं मोतीलाल पुत्र रांधाकिशन जाति केवट निवासी सोनवा के आधार पर आराजी खाता संख्या 49 खसरा नं0 16 रकबा 0.16 है0, खसरा नं0 33 रकबा 0.85 है0, खसरा नं0 34 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 है0 हिस्सा 2/9 वाके ग्राम सोना तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादीगण का नाम प्रहलाद पुत्र राधाकिशन के स्थान पर कन्हैयालाल उर्फ प्रहलाद पुत्र राधाकिशन एवं रूकमणी पुत्री राधाकिशन के स्थान पर कैलाशी बाई उर्फ रूकमणी पुत्री राधाकिशन दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादीगण के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादीगण स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)
मांगरोल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner